प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– विधानसभा गंगोलीहाट में लिंक मार्ग बानड़ी से चकाधार धरमोली घांघल सुकना मोटर मार्ग लम्बाई- 5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धरमोली (सुकना)

तहसील गणाईगंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धरमोली घांघल सुकना परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.54 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.0 हे0, वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 0.54 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धरमोली द्वारा दिनांक 2.5.21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धरमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी क्षेत्र- सुकना वि0ख0- गंगोलीहाट	ग्राम पंचायत सुकना वि0ख0 गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथता वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1·6

प्रपत्र—23.1

दिनांक 2-5-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धरमोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	श्री कुन्दन सिंह S/o स्व0 श्री मानसिंह	[illegible]
2 -	श्री आनन्द सिंह S/o खीमसिंह	आनन्द सिंह
3 -	गोविन्द सिंह पुत्र भवानसिंह	गोविन्द सिंह
4 -	भवानसिंह पुत्र देवसिंह	भवानसिंह
5 -	Khim Singh S/o Late Vijay Singh	[illegible]
6 -	Bhagwan Singh Bora S/o Khim Singh	[illegible]
7	प्रकाश सिंह बोरा किशनसिंह बोरा	प्रकाश सिंह
8	राहुल सिंह S/o किशनसिंह	राहुल सिंह
9	गोपाल सिंह S/o दीवान सिंह	[illegible]
10	सन्तोष सिंह बोरा S/o गोकुल सिंह	[illegible]
11	जोगिन्दर सिंह S/o कुन्दन सिंह	[illegible]
12	कमला देवी W/o हरीश सिंह	कमला
13	इन्द्र सिंह S/o दरबान सिंह	इन्द्र सिंह
14	काजोल बोरा D/o मोहन सिंह	Kajol
15	शोभा देवी W/o भरत सिंह	शोभा देवी
16	पवन सिंह S/o गोकुल सिंह	[illegible]
17	राहुल सिंह S/o गोकुल सिंह	Rahul
18	भुवन सिंह S/o मदन सिंह	भुवन
19	सोवन सिंह S/o मदन सिंह	सोवन
20	राजेश सिंह S/o दान सिंह	[illegible]

Singh

ह0/—

प्रधान

ग्राम पंचायत सुकना

ग्राम प्रधान

वि0ख0 गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– विधानसभा गंगोलीहाट में लिंकमार्ग से बानड़ी से चकाधार धरमोली धांधल से सुकना मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धांधल

तहसील गणाई गंगोली, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धरमोली धाधल सुकना परियोजना के निर्माण हेतु (0.100 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.100 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.0 हे0, वन पंचायत भूमि —×— हे0) अर्थात कुल 0.0 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धांधल द्वारा दिनांक 2.5.21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धांधल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र सुकना
वि0ख0 गंगोलीहाट

ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत सुकना
वि0ख0 गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1·6

प्रपत्र—23.1

दिनांक 2.5.21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...घाघल...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	गोविन्द सिंह S/o नारायण सिंह	गोविन्द सिंह
(2)	कुन्दन सिंह S/o गोविन्द सिंह	[illegible]
(3)	सुन्दर सिंह S/o सुजान सिंह	
(4)	आनंद सिंह S/o हिमांशु सिंह	[illegible] सिंह
(5)	पुष्कर सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
(6)	हीरा सिंह S/o केशर सिंह	पुष्कर सिंह
(7)	सुजान सिंह S/o मेहर सिंह	[illegible]
(8)	गोकुल सिंह S/o बहादुर सिंह	सुजान सिंह [illegible]
(9)	पुष्कर सिंह S/o किशन सिंह	पुष्कर सिंह
(10)	ईश्वर सिंह S/o प्रेम सिंह	ईश्वर सिंह
(11)	केशर सिंह S/o प्रेम सिंह	केशर सिंह
(12)	गुसाईं सिंह S/o [illegible] सिंह	गुसाईं सिंह
(13)	गोकुल सिंह S/o शिव सिंह	[illegible]
(14)	मोहन सिंह S/o त्रिलोक सिंह	मोहन सिंह
(15)	जगत सिंह S/o मदन सिंह	[illegible]
(16)	गोकुल सिंह S/o दीवान सिंह	[illegible]
(17)	हरीश सिंह S/o गोपाल सिंह	हरीश सिंह
(18)	राजेन्द्र सिंह S/o रघुवीर सिंह	राजेन्द्र सिंह
(19)	कुन्दन सिंह S/o महेन्द्र सिंह	कुन्दन सिंह
(20)	सुजान सिंह S/o भवान सिंह	सुजान सिंह

ह0 / [signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत सुकना
वि0ख0 गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– विधानसभा गंगोलीहाट में लिंक मार्ग से बानड़ी सेचकाधार धरमोली धाघंल से सुकना मोटर मार्ग लम्बाई–5.00 किमी०

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम सुकना
तहसील गणाईगंगोली, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धरमोली धाघल सुकना परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.27 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि —×— हे0) अर्थात कुल 0.27 हे0 वन भूमि का लोक निमार्ण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुकना द्वारा दिनांक 2.5.21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुकना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निमार्ण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र सुकना।
वि0ख0 गंगोलीहाट

ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत सुकना
वि0ख0 गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—23.1

दिनांक 2.5.21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सुकना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	धारियार सिंह S/. मोहन सिंह	धारियार सिंह
2	मथुरा सिंह S/o विजय सिंह	मथुरा सिंह
3	किशन सिंह S/. मोहन सिंह	किशन सिंह
4	जगत सिंह S/. धरम सिंह	[illegible]
5	भूपेन्द्र सिंह S/o कुन्दन सिंह	[illegible]
6	भूपेन्द्र सिंह S/o लक्ष्मण सिंह	भूपेन्द्र सिंह
7	कुन्दन सिंह S/o इकबाल सिंह	कुन्दन सिंह
8	कृष्णा सिंह S/. मथुरा सिंह	कृष्णा सिंह
9	दर्शन सिंह S/. सर्वजीत सिंह	दर्शन सिंह
10	योगेश S/. प्रताप सिंह	योगेश सिंह
11	गोपाल S/o केशर सिंह	[illegible]
12	इन्दर सिंह S/o किशन सिंह	इन्दर सिंह
13	भगवान सिंह S/o महेन्द्र सिंह	भगवान सिंह
14	मोहन सिंह S/o इन्दर सिंह	मोहन सिंह
15	हरीश सिंह S/o प्रताप सिंह	हरीश सिंह
16	सुरेश सिंह S/o प्रताप सिंह	सुरेश सिंह
17	शेर सिंह S/o मदन सिंह	शेर सिंह
18	किशन सिंह S/o प्रेम सिंह	किशन सिंह
19	जीत सिंह S/o धनीर सिंह	जीत सिंह
20	जगत सिंह S/o हरक सिंह	जगत सिंह

ह0/ [signature]
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत सुकना
वि0ख0 गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

प्रपत्र– 23.2

परियोजना विवरण : **विधानसभा गंगोलीहाट में लिंक मार्ग से बानड़ी** से चकाधार धरमोली घांघल से सुकना **मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी0 में पडने वाली 0.81 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण**

कार्यालय उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति–गंगोलीहाट

उप खण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाधार धरमोली घांघल से सुकना मोटर मार्ग का निर्माण **में 0.00** हे0 आ0 वनभूमि 0.81 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि **0.00** हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **0.81** हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–गणाई गंगोली) की दिनांक 18/8/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री भगत सिंह फोनिया उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

1–श्री भगत सिंह फोनिया उपजिलाधिकारी **गंगोलीहाट** अध्यक्ष।

2–श्री उपप्रभागीय वनाधिकारी **बेरीनाग** सदस्य।

3–श्री **संजय भटट** सहायक समाज कल्याण अधिकारी **गंगोलीहाट** सदस्य/सचिव ।

4–श्रीमती पूजा देबी बी0डी0सी0 क्षेत्र पाली सदस्य।

5–श्री चन्द्र शेखर पंत बी0डी0सी0 क्षेत्र चिटगल सदस्य।

6–श्रीमती गीता देबी बी0डी0सी0 क्षेत्र सिमलकोट सदस्य। गीता देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाधार धरमोली घांघल से सुकना मोटर मार्ग परियोजना हेतु **0.81** हे0 वनभूमि लोक निमार्ण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है।

उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाधार धरमोली घांघल से सुकना मोटर मार्ग के निमार्ण **हेतु 0.81** हे0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति ब्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
गंगोलीहाट

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गंगोलीहाट
जनपद– पिथौरागढ़

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप जिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गंगोलीहाट
जनपद– पिथौरागढ़

क्षेत्र पंचायत सदस्य चिटगल
वि0 ख0-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़

गीता देवी
सदस्य
क्षेत्र सिमलकोट 09
वि0 ख0-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड गंगोलीहाट

सदस्य
क्षेत्र-पा...
वि0 ख0-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ (उ0के0)

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.81 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Berinag (name of user agency) for **Bandi to Chakadhar dharmoli Ghanghal Sukna** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **dharmoli, Ghanghal, Sukna** village (s) in **Ganai Gangoli** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.81** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ... annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

जिलाधिकारी

पिथौरागढ़।

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6
प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. …………… I.A.S deputy commissioner,. ……………… on dated ………… at time ………….at **Pithoragarh** in which application claiming rights in ………….. area measuring 0.81 hect for the construction of **Bandi to Chakadhar dharmoli Ghanghal Sukna** Moter Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Berinag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated:…………..
cum-Chairman

Deputy Commissioner-
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
District Level Committee

प्रपत्र– 23

परियोजना विवरण : विधानसभा गंगोलीहाट में लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाधार धरमोली घांघल से सुकना मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी0 में पडने वाली 0.81 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिलास्तरीय समिति–पिथौरागढ

उप खण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाधार धरमोली घांघल से सुकना मोटर मार्ग का निर्माण में 0.00 हे0 आ0 वनभूमि 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि 0.81 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.81 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील गणाई गंगोली) की दिनांक .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री . जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

1–श्री जिलाधिकारी पिथौरागढ अध्यक्ष।

2–श्री विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य।

3–श्री विधासागर कापड़ी जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ सदस्य/सचिव ।

4–श्रीमती गंगोत्री दत्ताल जिला पंचायत सदस्य।

5–श्रीमती पुष्पा देवी जिला पंचायत सदस्य।

6–श्री सुरेश सिंह जिला पंचायत सदस्य। सुरेश सिंह

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाधार धरमोली घांघल से सुकना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.81 हे0 वनभूमि लोक निमार्ण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

पुष्पा देवी
जिला पंचायत सदस्य
09-नाचनी, पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड

सदस्य जिला पंचायत
सदस्य

श्रीमती गंगोत्री दत्ताल
सदस्य जिला पंचायत
सेतली (पिथौरागढ़)

सदस्य जिला पंचायत
खेला 02
जिला–पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य
प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी
अध्यक्ष
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़